2007:CGHC:4038
रिट याचिका (सेवा) क्र. 4519/2006 एवं रिट याचिका क्र. 4524/2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4519/2006

आर. नारायणन

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4524/2006

एस.आर. तेनगुरिया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य

आदेश

27.08.2007 हेतु सूचीबद्ध

हस्ताक्षरित
(सुनिल कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 4519/2006

याचिकाकर्ता : आर. नारायणन आत्मज स्वर्गीय सी.आर. नांबियार, आयु लगभग 59 वर्ष, उप–निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बिलासपुर में पदस्थ, निवासी– 6, सूरजमुखी, राजकिशोर नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बनाम

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बी–99, मुख्य रोड, समता कॉलोनी, पांडे नर्सिंग होम के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्र. 4524/2006

याचिकाकर्ता : एस.आर. तेनगुरिया आत्मज चिंगाराम तैनगुरिया, उम्र लगभग 59 वर्ष, उप–निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जगदलपुर में पदस्थ।

स्थानीय पता: ए–44, प्रियदर्शिनी नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, बी–99, मुख्य रोड, समता कॉलोनी, पांडे नर्सिंग होम के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिकाएँ

2007:CGHC:4038
रिट याचिका (सेवा) क्र. 4519/2006 एवं रिट याचिका क्र. 4524/2006

उपस्थित :–

दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्तागण हेतु : श्री संजय के. अग्रवाल एवं श्री सुदीप अग्रवाल, अधिवक्तागण

दोनों याचिकाओं में राज्य/उत्तरवादीगण हेतु : श्री यशवंत सिंह एवं श्री ए.एस. कच्छवाहा, शासकीय अधिवक्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(27.08.2007 को पारित)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. चूँकि उपर्युक्त दोनों याचिकाओं में दावा की गई अनुतोष एक समान है इसलिए उन्हें इस सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

2. संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाएँ दायर किए जाने की तिथि को याचिकाकर्तागण दिनांक 5 जुलाई 2002 से स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में उप–संचालक के मूल पद पर कार्यरत थे। याचिका के लंबन दौरान याचिकाकर्ता श्री एस.आर. तेनगुरिया दिनांक 30 जून 2007 को सेवानिवृत्त हो गए, जबकि अन्य याचिकाकर्ता श्री आर. नारायणन नवम्बर 2007 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

3. मध्यप्रदेश (छत्तीसगढ़) स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 (एतस्मिनपश्चात "नियमावली"), जो कि याचिकाकर्तागण पर लागू हैं, के अनुसार उप–संचालक से

संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। याचिकाकर्तागण का दावा है कि यद्यपि वे उक्त उच्चतर पद अर्थात संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र एवं योग्य हैं तथा उन्होंने कई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, परंतु विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक संयोजित नहीं की गई और न ही याचिकाकर्तागण तथा अन्य उपयुक्त अभ्यर्थियों के प्रकरणों पर विचारण किया गया। उनके तर्क के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित नहीं की गई है।

4. उत्तरवादीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार दिनांक 1.4.2005 की पदक्रम स्थिति में उप–संचालकों की वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं, जिस पर श्री जे.एस. वटवे, उप–संचालक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर निर्णय उपरांत वरीयता सूची का अंतिम रूप से निर्धारण प्रक्रियाधीन है, जिसके पश्चात विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. तर्क के दौरान, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.03.2007 के दस्तावेज़ को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि श्री जे.एस. वटवे द्वारा की गई आपत्ति स्वीकार कर ली गई है और वरीयता सूची में उपयुक्त संशोधन कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्येक शासकीय सेवक को पदोन्नति हेतु विचारण का अधिकार है क्योंकि पदोन्नति सेवा की एक शर्त होती है और राज्य पर संवैधानिक रूप से यह बाध्यता है कि वह पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सी.ओ. अरुमुगम एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, जो कि 1991 सप्प. (2) एस.सी.सी.199 में प्रकाशित है*** तथा ***त्रिपुरा राज्य एवं अन्य बनाम के.के. रॉय, जो कि 2004 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1 में प्रकाशित है*** में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क केवल उनके जवाब में उठाए गए बिंदुओं तक सीमित रखे हैं।

7. मैंने याचिकाकर्तागण एवं राज्य के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा दोनों रिट याचिकाओं के अभिलेखों का अवलोकन भी किया है।

8. नियमावली 1991 के नियम 13 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। उप–नियम (1) में प्रावधान है कि पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें, अनुसूची–4 में वर्णित सदस्य होंगे। उप–नियम (2) में प्रावधान है कि समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी। उप–नियम (3) एवं (4) में प्रक्रिया आदि के संबंध में दिशा–निर्देश दिए गए हैं। पदोन्नति हेतु पात्रता की शर्तों को नियम 14 में अतिस्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। नियम 14 इस प्रकार उद्धृत है :–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**पदोन्नति हेतु पात्रता सम्बन्धी शर्तें:–** (1)– उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचारण करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों से कम की सेवा (स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में), जैसा अनुसूची–4 के मद (4) में विनिर्दिष्ट है, उस पद पर जिससे पदोन्नति की जाना है पूर्ण न कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों :
>
> परन्तु आपातकालीन आयोग तथा अल्पकालिक सेवा आयोग से निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की संगणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266–1987–

(3)–67, दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो :

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि उसने विहित वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति हेतु विचारण नहीं किया जाएगा।

(2) चयन का क्षेत्र सामान्यतः "योग्यता–सह–वरिष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक तथा "वरिष्ठता–सह–योग्यता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः पांच गुना तक सीमित होगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जिस तक समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, आवश्यक समझा जाए।"

9. यदि नियमावली 1991 के साथ संलग्न अनुसूची–4 का अवलोकन किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त संचालक पद पर पदोन्नति हेतु फीडर पोस्ट उप–संचालक का है, और इस पद पर पदोन्नति हेतु सेवा अनुभव की अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उप–संचालक के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो वह संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु विचारण के लिए पात्र हो जाता है, जिसके लिए नियम 13 एवं 14 के अंतर्गत

विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक संयोजित किया जाना आवश्यक है। चूँकि नियम 13 के उप–नियम (2) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतराल पर नहीं होनी चाहिए, अतः शासन पर यह दायित्व था कि वह सामान्यतः एक वर्ष के अंतराल पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान प्रकरण में शासन द्वारा कभी भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित नहीं की गई और याचिकाकर्तागण जैसे कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु याचना करनी पड़ी, और इस बीच याचिकाकर्तागण में से एक श्री एस.आर. तेनगुरिया दिनांक 30 जून 2007 को सेवानिवृत्त हो गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. *सी.ओ. अरुमुगम बनाम तमिलनाडु राज्य* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को यह अधिकार है कि उसके पदोन्नति के प्रकरण पर उसके क्रम के अनुसार विचारण किया जाए और यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) से प्राप्त संवैधानिक आश्वासन है। पदोन्नति पर विचारण केवल युक्तिसंगत आधारों पर ही स्थगित किया जा सकता है। मनमानी से बचने हेतु कुछ समान सिद्धांतों का पालन करना उचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया हो या आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुका हो। उनकी पदोन्नति पर विचारण तब तक स्थगित रखा जा सकता है जब तक कार्यवाही पूर्ण न हो जाए। किंतु यदि वे आरोपों से भारमुक्त या दोषमुक्त हो जाते हैं और उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से दी जानी चाहिए, अर्थात् उस तिथि से जब उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दी गई थी।

11. *के.के. रॉय बनाम त्रिपुरा राज्य* (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पदोन्नति सेवा की एक शर्त है और नियोक्ता/राज्य पर संवैधानिक रूप से यह दायित्व है कि वह पदोन्नति के अवसर सृजित करे। चूँकि नियोक्ता संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा में आता है, अतः उस पर यह बाध्यता है कि वह कर्मचारियों हेतु पदोन्नति के अवसर सृजित करे, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में प्रतिपादित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भले ही कोई कर्मचारी नियुक्ति की शर्तों को यह जानते हुए स्वीकार करता है कि पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है (जैसा कि उस प्रकरण में था), तब भी राज्य यह नहीं कह सकता कि कर्मचारी अब पीछे नहीं हट सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ विबंध अथवा अधित्यजन के सिद्धांत लागू किए जाए, क्योंकि यह राज्य के संवैधानिक कर्तव्यों से संबंधित विषय है। यह निर्णय विधि अधिकारी–सह–प्रारूपकार के संदर्भ में दिया गया था, जो कि एकल संवर्गीय पद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि राज्य पर यह दायित्व था कि वह उपयुक्त अभ्यर्थियों के पदोन्नति हेतु उनके क्रम के अनुसार प्रकरणों पर विचारण करे, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 एवं 16(1) के अधीन प्राप्त संवैधानिक गारंटी है। नियम 13 के उप–नियम (2) में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अंतराल पर नहीं होगी परंतु, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, वर्तमान मामले में कभी भी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित नहीं की गई, जिससे उपयुक्त कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरणों पर विचारण नहीं हो सका। राज्य अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है। यह निर्विवादित तथ्य है कि याचिकाकर्ता दिनांक 6.7.2005 को उप–संचालक के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर दिनांक 1.1.2006 को पदोन्नति हेतु पात्र हो गए थे और उनके प्रकरणों पर प्रथम

विभागीय पदोन्नति समिति में विचारण किया जाना चाहिए था, जो कि नियम 14(1) सहपठित नियम 13(2) के अधीन दिनांक 1.1.2006 के पश्चात् संयोजित की जानी थी परंतु विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन नहीं किया गया और इस बीच याचिकाकर्तागण में से एक सेवानिवृत्त हो गया।

13. अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान स्थिति में याचिकाकर्तागण को कौन–सी राहत प्रदान की जा सकती है, विशेषतः जब याचिकाकर्ता श्री एस.आर. तेनगुरिया दिनांक 30.6.2007 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित करे और याचिकाकर्तागण के प्रकरणों पर उस तिथि से विचारण करे, जिस तिथि को वे संयुक्त संचालक पद के लिए पदोन्नति हेतु पात्र हुए थे, और यदि वे उपयुक्त पाए जाए तो उन्हें उस तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी जाए तथा उसके सभी परिणामी लाभ प्रदान किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संयोजित हुई हो और याचिकाकर्तागण के प्रकरणों पर विचारण न किया गया हो, या उन्हें स्थगित कर दिया गया हो, अथवा किसी अन्य कारण से याचिकाकर्तागण से कनिष्ठ किसी व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया गया हो। यह ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्तागण के पदोन्नति हेतु पात्र होने के पश्चात् भी डी.पी.सी. बैठक नहीं बुलाई गई थी एवं किसी को भी पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ही कभी संयोजित नहीं की गई और ऐसा कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ जहाँ याचिकाकर्तागण के पदोन्नति हेतु विचारण के अधिकार का हनन हुआ हो। यदि यह स्थिति होती कि पात्रता के बाद याचिकाकर्तागण के प्रकरणों पर विचारण नहीं किया गया और उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दे दी गई होती तो केवल उसी स्थिति में याचिकाकर्तागण को अनुच्छेद 14 के अधीन भेदभावपूर्ण व्यवहार के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से

पदोन्नति का अधिकार प्राप्त होता। ऐसी स्थिति में, सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद भी पदोन्नति पर विचारण किया जा सकता था।

15. वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, संयुक्त संचालक के पद रिक्त हैं और याचिकाकर्तागण से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी गई है न ही याचिकाकर्तागण के प्रकरणों को स्थगित किया गया है, अपितु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण उनके प्रकरणों पर विचारण नहीं किया जा सका। अतः याचिकाकर्तागण के प्रकरणों पर भूतलक्षी प्रभाव से विचारण नहीं किया जा सकता। जहाँ तक याचिकाकर्ता श्री एस.आर. तेनगुरिया का प्रश्न है, वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में इस न्यायालय की राय में इस स्तर पर, उन्हें पदोन्नति हेतु विचारण किए जाने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है। तथापि, अन्य याचिकाकर्ता इस संदर्भ में राहत पाने के अधिकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. परिणामस्वरूप, निम्नलिखित शर्तों के अधीन याचिकाओं का निपटान किया जाता है :–

(1) चूँकि कहा गया है कि वरीयता सूची अंतिम रूप प्राप्त कर चुकी है, अतः यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य शासन नियम 13 एवं 14, नियमावली 1991 के अनुसार आज दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) की बैठक संयोजित करे तथा याचिकाकर्ता श्री आर. नारायणन एवं अन्य उपयुक्त कर्मचारियों के प्रकरणों पर उक्त उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु विचारण करे। इस सीमा तक रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4519/2006 स्वीकार की जाती है। पदोन्नति हेतु भूतलक्षी प्रभाव से विचारण की प्रार्थना निरस्त की जाती है।

(2) रिट याचिका क्रमांक 4524/2006, जो याचिकाकर्ता श्री एस.आर. तेनगुरिया द्वारा दायर की गई थी, अवधि के अवसान होने के कारण निरर्थक हो चुकी है, अतः खारिज की जाती है।

(3) वाद–व्यय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरित
(सुनिल कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा एवं कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Anusha Naik, Advocate